उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0आर0 नं0–01/2015–16

रघुनाथ प्रसाद टिवड़ेवाल

बनाम्

रामलाल ब्रहम एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 24/4/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया रिविजनकर्त्ता रघुनाथ प्रसाद टिवड़ेवाल, पे0–स्व0 पुरूषोत्तम दास, सा0–महागामा, अंचल–महागामा, जिला –गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के डब्लू0पी0(सी0) नं0–6928/2005 के आदेश दिनांक–16.02.2015 के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0वाद सं0–03/2005 (रामलाल ब्रहम एवं अन्य बनाम् रघुनाथ प्रसाद टिवड़ेवाल) के आदेश दिनांक–28.06.2005 के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया है।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मूल रूप से विविध आवेदन महागामा अंचल के फूड फॉर वर्क योजना के ठेकेदार के द्वारा दायर किया गया था। बाद में उत्तरवादीगण की ओर से भी अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने मामला भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा को भेजने के लिए निदेश दिया गया। हालांकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के नहीं रहने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने मामलें की सुनवाई स्वयं किया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का शक्ति प्राप्त नहीं था। उनका आगे कथन है कि मुटेशन अपील से संबंधित नहीं रहने के वावजूद भी अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा वि0 वाद सं0–03/2005 प्रारम्भ कर अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा अपने नामांतरण केश नं0–48/2002–03 में दिनांक–29.03.2004 के पारित आदेश को निरस्त किया गया। चूँकि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा कानूनी त्रुटि एवं अन्य कानूनी दोष रहते हुए आदेश पारित किया। इसलिए रिविजनकर्त्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में डब्लू0पी0(सी0) नं0–6928/2005 को निष्पादन किया गया। उसी आदेश के

आलोक में रिविजनकर्त्ता के द्वारा वर्तमान रिविजन वाद दायर किया गया है। उनका आगे कथन है कि बिहार (झारखण्ड) टेनेन्टस होल्डिंग (मैनटेनेन्स ऑफ रेकर्डस) एक्ट, 1973 की धारा 16 के तहत नामांतरण का अपील सुनने का शक्ति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा को प्राप्त है और वही व्यक्ति अपील दाखिल कर सकता है, जिसका जमीन पर स्वत्व निहित हो। वर्तमान मामलें के जमीन का अधिकार जमीनदार में निहित है। लेकिन उत्तरवादीगण गत जमीनदार के वंशज के अन्तर्गत नहीं आते हैं। उनका आगे कथन है कि रिविजन वादगत जमीन मौजा–महागामा का दाग नं0–129 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कामत मालिक कहकर दर्ज है एवं किस्म रैयत कामत दर्ज है। इस प्रकार यह रैयती जमीन नहीं है और रैयती जमीन नहीं होने के कारण इसमें संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा लागू नहीं होगा। वर्ष 1995 में संथाल परगना क्षेत्र के कामत जमीन के संबंध में सवाल उठाया गया था। उसके लिए बिहार सरकार के निबंधन विभाग के द्वारा महाधिवक्ता से मंतव्य की माँग की गयी थी। महाधिवक्ता ने ए0आई0आर0 1970 (पटना) के पेज सं0–358 एवं पी0एल0जे0आर0 1969 के पेज सं0–373 में दर्ज सूचना के आधार पर अपना राय दिया गया कि कामत जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 लागू नहीं होगा एवं कामत भूमि के मामले में सेल डीड को इन्कार नहीं किया जा सकता है। महाधिवक्ता से प्राप्त राय के आधार पर सचिव–सह–महानिबंधक, बिहार, पटना के द्वारा उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, गोड्डा को पत्र भी दिया और तब से गोड्डा जिला में कामत भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन तत्कालिन जमीनदार वन्सीधर ढनढनिया के द्वारा हुकुमनामा के द्वारा रामावतार राम टिवड़ेवाल को दिनांक–12.05.1945 में बंदोवस्त किया था। इस प्रकार इस मामलें में जमीनदार के वंशज ही विक्षुब्ध पक्ष हो सकते है। चूँकि कामत जमीन सरकारी अधिकार में निहित नहीं हुआ है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश निरस्त करने योग्य है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है। रिविजनकर्त्ता के द्वारा रिविजन आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–महागामा नं0–700, खाता नं0–200, दाग नं0–129 रकवा 05–17–09 धुर

जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में पोखर कहकर दर्ज है। उक्त पोखर सार्वजनिक है। रिविजनकर्त्ता के द्वारा उक्त पोखर की जमीन को गलत पट्टा दिखाकर अवैध ढंग से मुटेशन करा लिया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि उक्त जमीन का लगान धार्य भी नहीं हुआ है एवं बंदोवस्ती आदेश भी नहीं है। ऐसी स्थिति में रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–महागामा नं0–700, जमाबंदी नं0–200, दाग नं0–129 की जमीन पोखर किस्म रैयत कामत कहकर गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। रिविजनकर्त्ता के द्वारा जमीनदार हुकुमनामा के आधार पर उक्त जमीन पर दावा किया गया है। लेकिन रिविजनकर्त्ता की ओर से न तो जमीनदारी रिटर्न की प्रति दाखिल किया गया है और न ही उक्त जमीन का लगान धार्य से संबंधित कोई भी साक्ष्यजनित कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार रिविजनकर्त्ता का रिविजन वाद स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा कि विविध वाद सं0–03/2005 में दिनांक–28.06.2005 के आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:35:21 +05:30
Location: 172.21.32.1